	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 14, सोमवार, शाके 1933–सितम्बर 5, 2011 *Bhadra 14, Monday, Saka 1933–September 5, 2011*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 5, 2011

एस.ओ. 76:–राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (आर.आई.डी.सी.ओ.आर.) के साथ निम्नलिखित सड़कों के विकास के लिए एक करार किया है :–

1. हनुमानगढ़ से संगरिया (हरियाणा राज्य सीमा तक),
2. कापरेन से मांगरोल,
3. झालावाड़ से उज्जैन (राजस्थान राज्य सीमा तक),
4. खुशखेड़ा से कसौला चौक।

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उपर्युक्त सड़कों या उनके किसी भाग/अनुभाग के उपयोक्ताओं से, इसमें इसके पश्चात् विहित दर से फीस उद्ग्रहीत करेगी।

यतः अब, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उप–धारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार सड़क अनुभागों के विकास में अन्तर्वलित व्यय और फीस के संग्रहण, विनिहित पूंजी पर ब्याज, किये गये विनिधान पर के युक्तियुक्त प्रत्यागम और यातायात के परिमाण पर विचार करने के पश्चात् इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में उक्त सड़कों के उपयोक्ताओं से मोटरयुक्त/यांत्रिक यानों पर नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहित की

जायेगी और आर.आई.डी.सी.ओ.आर. को उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उपयोक्ता फीस संग्रहीत करने और फीस संग्रहण की तारीख से ही और परियोजना कालावधि की समाप्ति तक उक्त उपयोक्ता फीस रखने के लिए प्राधिकृत करती है:–

अनुसूची

फीस, ऊपर वर्णित सड़कों पर स्थित उपयोक्ता फीस प्लाजाओं पर संग्रहीत की जायेगी।

01–04–2011 को यथा प्रवर्तनीय टोल फीस की दरें निम्नानुसार है:–

1	2	3	4
क्र. सं.	यानों का प्रवर्ग	ऐसे पुलों, सुरंगों और उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 कि.मी. तक है, प्रति दौरा प्रति यान फीस की दरें (रु. में)	उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 कि.मी. से अधिक है स्तम्भ–3 में कथित दरों के पश्चात् संदेय प्रति दौरा/कि.मी. फीस की दरें। प्रथम 20 कि.मी. तक के लिए स्तम्भ–3 की नियत दरें (प्रति किमी. रु.) लागू होंगी।
1.	(क) अकृषिक उपज ले जा रहे ट्रैक्टर मय ट्रोलियों के (कृषि उपज ले जा रही और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रैक्टर ट्रोलियों द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा।)	5.59	0.14
	(ख) टेम्पो, कारें, टैक्सी, प्राइवेट कारें, जीप	18.63	0.46

1	2	3	4
2.	मोटर लारियां, बसें, मिनी–बसें और अन्य भारी मशीनरी जैसे मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	46.59	1.20
3.	(क) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पाँच) टन तक हो	63.36	1.56
	(ख) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पाँच) टन से अधिक हो	95.03	2.38
4.	मल्टी–एक्सल ट्रक / ट्रेलर	156.53	3.94

टिप्पणी:–

1. यह लेडन सहित और लेडन रहित ट्रकों पर प्रभारित किया जायेगा।
2. ऊपर सारणी में उल्लेखित फीस की दरें 5 रु. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कर नियत की जायेंगी।
3. ऊपर उल्लेखित दरें 1 अप्रेल, 2011 से लागू होंगी। अगला पुनरीक्षण 5.00 रु. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करते हुये 10 प्रतिशत वृद्धि की दर से 1 अप्रेल, 2013 से शोध्य होगा।
4. निम्नलिखित यानों के सम्बन्ध में कोई फीस संदेय नहीं होगी या फीस के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त होगी :–

   – रक्षा विभाग के यानों,
   – पुलिस विभाग के यानों,
   – अग्नि शमन यानों,
   – एम्बुलेंसों,
   – अंत्येष्टि यानों,
   – डाक–तार विभाग के यानों,
   – केन्द्र और राज्य सरकार के यानों,
   – माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यानों,
   – संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के यानों,

— लोकायुक्त के यानों,

— पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों,

— संसद और विधान सभा के आसीन सदस्यों, विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों के हल्के निजी यानों,

— प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों।

5. भागतः आनुपातिक फीस का, करार के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सड़क लम्बाई का 50 प्रतिशत से अधिक का संनिर्माण होने के पश्चात् ही, उद्ग्रहण अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि कम से कम 50 किमी. लंबी सड़क संनिर्मित हो गई हो।

6. आर.आई.डी.सी.ओ.आर. इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगा (जिनमें एक जन भाषा का समाचार पत्र होगा), जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार, फीस संग्रहण की तारीख भी फीस संग्रहण तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व वर्णित करेगा। ऐसा सार इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभाव में लाने से कम से कम दस दिन पूर्व प्रत्येक फीस पुनरीक्षण के समय दोहराया भी जायेगा।

7. यान द्वारा सन्निर्माण सुविधा से एक से अधिक बार गुजरने की दशा में अर्थात् आने जाने को फीस के प्रभार के लिए ऐसी यात्रा को एक इकाई समझा जायेगा, जिसके लिए उपयोक्ता के पास डेढ़ गुणा फीस संदत्त करने का विकल्प होगा। यह विकल्प उसी दिन की गई यात्राओं तक सीमित होगा।

8. सभी यानों के लिए सुविधा/सन्निर्माण का उपयोग करने के लिए अनुसूची में उल्लेखित एक बार की फीस का 30 गुना संदाय करके मासिक पास प्राप्त किये जा सकेंगे।

9. यदि किसी सड़क पर किसी 30 किमी. की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक पुल या सुरंगें हों और किसी सड़क पर 50 किमी. की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक उप मार्ग हों या सड़क का ऐसा कोई अनुभाग, जो संनिर्मित या पुनःसंनिर्मित, उन्नत किया गया हो या उसकी मरम्मत की गई हो तो एक से अधिक सुविधा पर कोई भी फीस संदेय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :–

(1) "फीस संग्रहण तारीख" से आर.आई.डी.सी.ओ.आर. के साथ किये गये करार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वह

तारीख अभिप्रेत है जिससे किसी सड़क या उसके भाग के उपयोक्ताओं से फीस संग्रहीत की जायेगी।

(2) "परियोजना कालावधि" से जी.ओ.आर., आर.आई.डी.सी.ओ.आर. और आई.एल. एवं एफ.एस. (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एवं फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड) के बीच किये गये भागीदारी और विकास करार के चालू रहने के दौरान की कालावधि अभिप्रेत है।

[संख्या प.8(22)सा.नि./2004(1)]

राज्यपाल के आदेश से,

कानचन्द बुनकर,

सहायक शासन सचिव,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 5, 2011

S.O. 76.–In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002), the State Government has entered into an agreement with Road Infrastructure Development Company of Rajasthan (RIDCOR) for development of the following Roads:-

1. Hanumangarh to Sangaria (upto Haryana Border),
2. Kapren to Mangrol,
3. Jhalawar to Ujjain (upto Rajasthan Border),
4. Khushkhera to Kasola Chowk.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government, shall levy fees, at rates prescribed hereinafter, on the users of the above Roads or in any part/section thereof.

NOW THEREFORE, as per sub-section (2) of section 5 of Rajasthan Road Development Act, 2002, the State Government having considered the expenditure involved in the development of

road sections and collection of fees, interest on the capital invested, reasonable return on investment made and the volume of traffic, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on motorized/mechanical vehicles from the users of the said roads in the State of Rajasthan at the rates specified in the Schedule below, and authorizes RIDCOR to collect user fees in accordance with the rules made under the said Act and retain the said user fees on and from the Fees Collection Date and till the termination of Project Period.

SCHEDULE

The fees shall be collected at user fees plazas located the roads above.

Rates of the toll fee enforceable as on 01-04-2011 is as below:-

1	2	3	5
S. No.	Categories of Vehicle	Fee rates per vehicle per trip for bridges, tunnels & those bye-passes and roads whose length is upto 20 k.m. (in Rs.)	Fee rates per trip/ k.m. payable after rates stated in Col. 3 for those bye-passes and roads whose length is more than 20 k.ms. for upto first 20 k.ms. the fixed rates of Col. 3 shall be applicable (Rs. per km.)
1.	(a) Tractors with trolleys carrying non-agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose)	5.59	0.14

1	2	3	4
	(b) Tempo, Cars, Taxis, Private Cars, Jeeps	18.63	0.46
2.	Motor lorries, Buses, Minibuses and other heavy machinery e.g. earthmoving machinery	46.59	1.20
3.	(a) Trucks with registered laden weight upto 5 (five) tones	63.36	1.56
	(b) Trucks with registered laden weight more than 5 (five) tones	95.03	2.38
4.	Multi-axle trucks/trailers	156.53	3.94

Note :-

1. Fees shall be charged for laden and un-laden vehicles.
2. The fee rates mentioned in the above table will be fixed after rounding of to the nearest of multiple of Rs 5.00.
3. The above mentioned rates will be applicable from 1st April, 2011. Next revision will be due w.e.f. 1st April, 2013 @10% increase, rounded off to the nearest multiple of Rs 5.00.
4. No fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles namely:-
   - Vehicles of Defense Department,
   - Vehicles of Police Department,
   - Fire Fighting Vehicles, Ambulances,
   - Funeral Vans, Post and Telegraph Department Vehicles,
   - Central and State Government Vehicles,
   - Vehicles of Hon'ble Judges of the Supreme Court and High Courts,
   - Vehicles of Union Public Service Commission.

- State Public Service Commission, Vehicle of Lok Ayukta,
- Vehicles of Panchayat Samities and Local Bodies,
- Private light vehicles of sitting Members of Parliament,
- Member of Legislative Assembly, Ex-Member of Legislative Assembly,
- Light motor vehicles of Accredited Journalists used by themselves.

5. Part proportionate fee shall be allowed to be levied only after construction of more than 50 percent road length proposed in the project as per agreement, provided minimum 50 K.ms. road length is constructed.
6. RIDCOR shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the Fees Collection Date, as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the Fees Collection Date. Such substance shall also be repeated every time of fee revision, at least ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.
7. In case a vehicle has to, cross the facility/construction more than once i.e. to and fro, such journey will be treated as one unit for charge of fee, for which the user shall have the option to pay one and half times the fee. This option shall be confined to journeys undertaken on the same day.
8. For all the vehicles, monthly pass may be obtained by paying 30 times of the one time fees, mentioned in the Schedule for using the facility/construction.
9. If within a distance of 30 K.ms. on a road there are two or more bridges or tunnels and within a distance of 50 K.ms. on a road there are two or more bye passes or any section of road which has been constructed, reconstructed, improved or repaired, no fee shall be payable on more than one facility.

Explanation: For the purpose of this notification:-

1. "Fee Collection Date" means the date notified by the State Government as per agreement entered into with RIDCOR from which the fees shall be collected from the users of any road or part thereof.
2. "Project Period" means the period during the currency of the Partnership and Development Agreement entered into amongst GOR, RIDCOR and IL&FS (Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.)

[No. F.8(22)/PW/2004(A)]

By Order of the Governor,

कानचन्द बुनकर,

Asstt. Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.